I AC (Bulbul) upload it cert 10/8/18

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.–भूप्रआ/समु/आरआर./11/2/4/09–10/ दिनांकः

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
कोटा ।

विषयः– तहसील किशनगंज ,जिला बारां के 6 ग्रामों की बन्द अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत ।

प्रसग :– राजस्व ग्रुप–1 विभाग का पत्रांक प.13(4)राज–1/2010 दिनांक 18.7.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील किशनगंज जिला बारां के 6 ग्रामों की बन्द अधिसूचना दिनांक 18.7.2018 अन्तर्गत धारा 106,107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है जिसकी छाया प्रतियां सलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भी भिजवावें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

ह०
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0भू–प्रंबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/2011 दिनांकः– 9/8/18

प्रतिलिपिः–

1– प्रोग्रामर,मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की एक–एक छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी
मुख्यावास राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज.–1/2010 जयपुर, दिनांक 18 JUL 2018

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज जिला बारां के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक क्रमशः प0 13(15)राज./ग्रुप–1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज./ग्रुप–1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राज./ग्रुप–1/2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी कोटा को अपर भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 175 ग्राम बन्द घोषित हो चुके हैं तथा अधिसूचना दिनांक 13.06.2018 के द्वारा 12 ग्रामों को बन्द घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 187 ग्राम बन्द घोषित किये जा चुके हैं। अतः शेष रहे ग्रामों में से **6 ग्राम यथा बांसथूनी, करवरी कलां, टगरिया ढाणी, मिसाई, दीगोदपार व पींजनी** का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाकर अपर भू–अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

कार्यालय भू–प्रबन्ध विभाग
राज., जयपुर
पत्र–प्राप्ति
08 AUG 2018
क्रमांक 666

राज्यपाल की आज्ञा से

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/2009–10/1699 दिनांक 04.07.2018।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज.–1/2010 जयपुर, दिनांक 18 JUL 2018

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज जिला बारां के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक क्रमशः प0 13(15)राज./ग्रुप–1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज./ग्रुप–1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राज./ग्रुप–1/2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 175 ग्राम बन्द घोषित हो चुके हैं तथा अधिसूचना दिनांक 13.06.2018 के द्वारा 12 ग्रामों को बन्द घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 187 ग्राम बन्द घोषित किये जा चुके हैं। अतः शेष रहे ग्रामों में से **6 ग्राम यथा बांसथूनी, करवरी कलां, टगरिया ढाणी, मिसाई, दीगोदपार व पींजनी** का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय भू–प्रबन्ध विभाग राज., जयपुर
पत्र–प्राप्ति
08 AUG 2018
665

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/2009–10/1699 दिनांक 04.07.2018।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

18/7

संयुक्त शासन सचिव